

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन)/717/18, दिनांक : 19 अप्रैल-2018,

-:: आदेश ::-

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक-693/18 दिनांक 12.04.18 द्वारा माह अप्रैल-2018 हेतु दिनांक 16.04.18 से 20.04.18 तक के लिए लखनऊ पीठ-1, 2 व 3 के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु खंड पीठ गठित की गयी थी। अपरिहार्य कारणों से दिनांक 20.04.18 के लिए गठित खंड पीठ निरस्त की जाती है।

सम्बन्धित अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया जाये।

ह0-19.04.18

(राजेन्द्र कुमार-IV)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन)/717/2018, तददिनांकित प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 3-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



प्रभारी निबन्धक

वाणिज्य कर अधिकरण

उत्तर प्रदेश लखनऊ।